... प्रदेश

ग्वालियर म0प्र0

(100)

प्र. क्र. निगरानी / / द्वितीय / 2016

प्र0 1561

दिनांक 19-5-16 को जगदीश श्रीवास्तव अभि0 द्वारा प्रस्तुत/
19.5.16
SD

1. श्रीमती साविता त्रिपाठी पत्नी स्व0श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी
2. अंकित त्रिपाठी पुत्र स्व0श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी, निवासी पीताम्बरापुरी कॉलोनी, कचेहरी के पीछे दतिया म0प्र0 .....प्रार्थीगण

बनाम

1 म0प्र0शासन जर्ये तहसीलदार, तहसील दतिया जिला दतिया
2. दिनेशचन्द्र मिश्रा पुत्र श्री रमेशचन्द्र मिश्रा निवासी पीताम्बरापुरी कॉलोनी कचहरी के पीछे दतिया म0प्र0 ......प्रतिप्रार्थीगण

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय तहसीलदार तहसील दतिया जिला दतिया के प्रकरण कमांक 03/अ–68 /2015–16 में पारित आदेश दिनांकी 16.05.2016 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी

श्रीमान जी,

प्रार्थीगणों की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यह कि, प्रार्थीगणों के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि ग्राम गिर्द दतिया तहसील एवं जिला दतिया के सर्वे कमांक 2702/मिन रकवा 1400 वर्गफुट भूमि है उक्त भूमि को प्रार्थिनी के पति मृतक प्रमोद कुमार त्रिपाठी द्वारा श्री मोहन कुमार पुत्र श्री रामरतन से जर्ये रजि0 विकय पत्र दिनांकी 09.09.1997 को कय कर मौके पर विधिवत कब्जा प्राप्त किया था और तभी से उक्त भूमि पर प्रार्थी के पति तथा वर्तमान मे प्रार्थीगण काबिज होकर अधिपत्यधारी है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थीगणों का भवन निर्मित है जिसमें प्रार्थीगण काबिज होकर अधिपत्यधारी है । प्रार्थीगणों का उक्त संपत्ति पर भवन निर्मित है और उक्त भवन में प्रार्थीगण काबिज होकर अधिपत्यधारी है तहसील न्यायालय द्वारा प्रार्थी को म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 248 का इस आधार पर नोटिस जारी किया कि प्रार्थी का उक्त भवन शासकीय सर्वे कमांक पर बना हुआ है जबकि प्रार्थी का भवन उसके भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि पर निर्मित होकर बिना रोक–टोक के इस्तेमाल करता हुआ चला आ रहा है । प्रार्थिनी को जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सूचना पत्र जारी किय गया उक्त सूचना पत्र म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 248 के अनुरूप नही था क्योकि उसमें न तो सर्वे कमांक और ना ही स्थल का नाम व कितने रकवे पर प्रार्थिनी ने अतिकमण किया है और किस प्रकार अतिकमण किया है इसका कोई स्पष्ट उल्लेख

क्रमश.........2

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग./1561/एक/2016 जिला दतिया

सविता त्रिपाठी आदि विरुद्ध म0प्र0 शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
31/5/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक- 3/अ-68/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 16/05/2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 19/7/19 को कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 31/5/19 सदस्य	